रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 1993/आषाढ़ 15, 1915
No. 397] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 1993/ASADHA 15, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 8 (आर ई) 92—97

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1993

का. आ. 490(अ):—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की सं. का. आ. 222(अ), दिनांक 31 मार्च, 1993 द्वारा

प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्यात-आयात नीति 1992 (संशोधित संस्करण, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

अध्याय-15, भाग 3, पैरा 157, सारणीबद्ध मदें: क्रम सं. 2 के सामने दिखाई गई मदों का विवरण [वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7 (आरई) 92–97 दिनांक 17 जून, 1993 द्वारा यथा संशोधित] को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"डाइअम फासफेट (डीएपी), म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी), मोनो-अमोनियम फासफेट (एमएपी) और सलफेट आफ पोटाश (एसओपी) को छोड़कर सभी किस्म की नाइट्रोजन, फासफेटिक, पोटासिक और कम्पलैक्स कैमिकल फर्टिलाइजर्स ।"

इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है ।

[फाइल सं. आईपीसी/4/5(288)/92–97]

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 8|(RE)|92-97

New Delhi, the 6th July, 1993

S.O. 490(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendment in the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 222(E), dated the 31st March, 1993, namely :—

In Chapter XV, Part III, Para 157, Canalised Items, the description of Items appearing against Sl. No. 2 [as amended by Ministry of Commerce Notification No. 7(RE)|92-97, dated 17th June, 1993] shall be substituted by the following :—

"All types of nitrogenous, phosphatic, potassic and complex chemical fertilisers except Di-Ammonium Phosphate (DAP), Muriate of Potash (MOP), Mono Ammonium Phosphate (MAP) and Sulphat of Potash (SOP)."

2. This issues in public interest.

[File No. IPC|4|5(288)|92-97|

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993